भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4313
जिसका उत्तर मंगलवार 28 मार्च, 2017 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल सेफ्टी स्टैन्डर्ड

4313. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के ऑटोमोबाइल सेफ्टी स्टैन्डर्ड अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्टैन्डर्डों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले त्रुटिपूर्ण विनिर्माण की निगरानी तथा समाधान के लिए कोई तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारत ने यूएनईसीई, डब्ल्यूपी-29, 1998 पर हस्ताक्षर किए हैं तथा भारत वैश्विक तकनीकी विनियम तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस प्रकार, सीएमवीआर 1989 के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा मानक यूएन द्वारा विनियमित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं।

(ग) और (घ): हालांकि सरकार ने विनिर्माण संबंधी खामियों के प्रबोधन एवं समाधान हेतु कोई क्रियाविधि स्थापित नहीं की है, फिर भी, भारतीय ऑटो उद्योग ने जून, 2012 से स्वैच्छिक आधार पर सक्रिय रूप से 'स्वैच्छिक रिकॉल नीति' बनाई है।

*****